महत्वपूर्ण एवं खास

मामूली विवाद पर कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर में सोमवार रात मामूली विवाद पर एक युवक ने दूसरे की चाकू से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोतवाली थानक्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली पुलिस को सोमवार रात के 12 से 1 बजे के बीच बुढापारा, हनुमान मंदिर गली के पास एक व्यक्ति आहत अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी, सूचना पर थाना पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची और आहत व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान किया गया, जिसे थाना लाकर पुछताछ किया गया जो पुछताछ के दौरान दीपक लोहार उफर् गप्पू पिता नोहर विश्वकर्मा उम्र करीब 22 वर्ष साकिन गोबरा नवापारा ने बताया कि रात्रि को वह घर जाते समय मृतक से हनुमान मंदिर गली में टकरा गया जिससे दोनो के बीच विवाद एवं मारपीट हो गया। जिसपर आवेश में आकर उसने अपने पास रखे धारदार हथियार से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

कुनकुरी के 6 दुकानों पर प्रशासन ने मारा छापा

जशपुर (आरएनएस)। कुनकुरी एसडीएम नन्द जी पांडे और एसडीओपी विनोद कुमार मंडावी के निर्देशन में कुनकुरी विकास खंड में तहसीलदार कुनकुरी प्रमोद पटेल, थाना प्रभारी राकेश यादव की टीम ने स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू,गुड़ाखू, सिगरेट बेच रहे दुकानों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया। जिसमें 6 दुकान शामिल हैं। उनको समझाइए दिया गया की स्कूल के 100 मी दायरे में किसी प्रकार के तंबाकू सिगरेट गुड़ाखू का विक्रय करना प्रतिबंधित है। इनमें खुशी बिरयानी सेंटर,दिलिप जैन किराना स्टोर, कोलंबो खान और राजेश किराना स्टोर,मिश्रा किराना स्टोर शामिल है।

नदी में महिला की मिली लाश, पुलिस जुटी जांच में

कोरबा (आरएनएस)। जिले के मोरगा थाना क्षेत्र में स्थित चोरनई नदी में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान ब्रीजो बाई (40 साल) के रूप में हुई है, जो अपने पति सुमार सिंह मंझवार के साथ पिछले दो महीने से नदी के डूबान क्षेत्र में झोपड़ी बनाकर रह रही थी। पति सुमार सिंह मंझवार ने बताया कि वह रविवार सुबह चावल लेने लेमरू गया था और शाम होने के कारण वापस नहीं लौट सका। सोमवार दोपहर जब वह झोपड़ी पहुंचा, तो उसकी पत्नी गायब थी। खोजबीन के दौरान मंगलवार को सुबह उसे पत्नी का शव नदी में तैरता मिला। मृतका के पति ने बताया कि वे दोनों पिछले दो महीने से नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। वे दोनों मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। पति ने बताया कि उसकी पत्नी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और न ही कोई विवाद था। पति ने आशंका जताई है कि हो सकता है कि उसकी पत्नी नदी में गिर गई हो और डूब गई हो। मोगरा चौकी प्रभारी मंगतु राम मरकाम ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को सूचित किया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल तक पहुंचने के लिए पांच किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और नदी को पार करने के लिए डोंगी (छोटी नाव) का सहारा लिया गया। शव के प्रारंभिक निरीक्षण में शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले। स्थानीय लोगों के मुताबिक, मृतका कभी-कभार शराब का सेवन करती थी। लोगों ने बताया कि मृतका और उसके पति के बीच कभी-कभार विवाद होता था, लेकिन यह विवाद कभी भी गंभीर नहीं हुआ। लोगों ने आशंका जताई है कि हो सकता है कि मृतका ने शराब पीने के बाद नदी में गिर गई हो और डूब गई हो। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा।

मांग एवं समस्याओं के निराकरण के लिए जनदर्शन में पहुंचे जिलेवासी

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने जनदर्शन में प्राप्त सभी आवेदनों के शीघ्र निराकरण के विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश

रायगढ़

प्रति सप्ताह मंगलवार को दोपहर 12 बजे से कलेक्टर कक्ष के बाहर प्रतीक्षाकक्ष में जनदर्शन का आयोजन हो रहा है। जिसमें जिले के जनसामान्य अपनी मांग, समस्या एवं शिकायत संबंधी आवेदन लेकर पहुंचते है। मौके पर कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी आवेदकों की समस्या सुनते हुए उनके प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को यथासंभव शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। मौके पर सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव, अपर कलेक्टर रवि राही, अपर कलेक्टर अपूर्व प्रियेश टोप्पो उपस्थित रहे।

जनदर्शन में आज वार्ड क्रमांक 9 एवं 10 पुरानी बस्ती मधुबन पारा के मोहल्लेवासी माधोबन तालाब में हुए अतिक्रमण की शिकायत लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि यहां के समस्त मोहल्लेवासी तालाब में निस्तारी का कार्य करते आ रहे है। लेकिन कुछ लोगों द्वारा दबंगई दिखाते हुए अवैध रूप से तालाब पर कब्जा करते हुए पक्के मकानों का निर्माण कर रहे है। इस अतिक्रमण से जल निकासी की समस्या उत्पन्न हो रही है तथा तालाब का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। सभी मोहल्लेवासी कलेक्टर से तालाब में हो रहे अतिक्रमण को शीघ्र हटाए जाने हेतु आग्रह किए।

विद्युत विभाग के द्वारा संबलपुरी सब स्टेशन से नियमित विद्युत वितरण नहीं करने संबंधी शिकायत लेकर बड़ी संख्या में ग्रामवासी जनदर्शन में पहुंचे थे। ग्रामीणों ने बताया जिस दिन से नया सब स्टेशन संबलपुरी में बना है तब से आज दिनांक तक विद्युत आपूर्ति नियमित नहीं की जा रही है। यहां आए दिन 3 से 4 घंटा ही विद्युत वितरण किया जा रहा है। जिससे सबस्टेशन संबलपुरी से लगे ग्राम बंगुरसिया, जुनवानी, छिरवानी, नवागांव, चक्रधरपुर, धूमाबहाल, देवबहाल, नटवरपुर, झारगुड़ा, अड़बहाल, तिलगा, बादपाली, सम्बलपुरी, रेगड़ा गांवों में नियमित विद्युत आपूर्ति नहीं होने से उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे दिनचर्या प्रभावित होने के साथ ही पेयजल की समस्या भी बनी हुई है।

ग्राम-दर्रामुड़ा धरमपुर के ग्रामवासी गांव में अवैध रूप से महुआ शराब विक्रय पर रोक लगाने संबंधी शिकायत लेकर जनदर्शन में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि गांव में कुछ लोग बाहर से कच्चा महुआ शराब लाकर अवैध रूप से विक्रय कर रहे है। जिससे गांव का माहौल बिगडऩे के साथ ही स्कूली बच्चों पर भी इसका गलत असर पड़ रहा है। सभी ग्रामवासियों ने कलेक्टर से इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करते हुए यहां शराब विक्रय पर प्रतिबंध लगाए जाने का निवेदन किया। ग्राम-बर्रा के सरपंच गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्टॉप नर्स की व्यवस्था करने संबंधी मांग आवेदन लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अनुभवी नर्स न होने के कारण प्रसव जैसे प्रकरण में अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में रिफर कर दिया जाता है, जिससे यहां के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह शहरी स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर के अधूरे निर्माण को पूर्ण करने की मांग को लेकर ग्राम-उर्दना के ग्रामीण जनदर्शन में पहुंचे थे। उन्होंने कलेक्टर को अवगत कराया कि वार्ड नंबर 46 में शहरी स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर बनाने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति दी गई थी। जिसके निर्माण हेतु ठेकेदार द्वारा बोर खनन सहित निर्माण सामग्री रखी गई है। लेकिन बीते 6 महीने पूर्ण होने के बाद आज तक वहां कार्य शुरू नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से आग्रह किया कि अतिशीघ्र निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाए ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके।

जूटमिल पुलिस की अवैध शराब पर दो बड़ी कार्यवाई, देशी/अंग्रेजी और महुआ शराब के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जूटमिल थाना पुलिस ने 3 जून 2025 को दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में देशी और अंग्रेजी शराब जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव के नेतृत्व में की गई, जिसमें पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर गांधी नगर और गोहडीडीपा कोडातराई में घेराबंदी कर आरोपियों को दबोचा।

पहली कार्रवाई में पुलिस को सूचना मिली कि गांधी नगर आनंदडीपा मोड़ के पास एक व्यक्ति शराब की तस्करी की नियत से खड़ा है। मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई, जहां एक व्यक्ति सफेद रंग के दो प्लास्टिक जरिकेन के साथ संदिग्ध अवस्था में मिला। पूछताछ में उसने अपना नाम बासु सोनी (31 वर्ष), निवासी काशीराम चौक, गांधी नगर, थाना जूटमिल बताया। जब दोनों प्लास्टिक जरिकेन की जांच की गई तो उसमें कुल 15 लीटर हाथ भट्ठी से बनी देशी महुआ शराब बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 3,000 रुपये आंकी गई। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

दूसरी कार्रवाई में पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम गोहडीडीपा कोडातराई में पंकज सिंह नामक व्यक्ति भारी मात्रा में शराब बेचने की फिराक में है। सूचना पर पहुंचकर की गई घेराबंदी के दौरान आरोपी पंकज सिंह (33 वर्ष), निवासी मायाबिघा, थाना मदनपुर, जिला औरंगाबाद (बिहार), वर्तमान में बुद्धेश्वर राम के किराये के मकान में रह रहा था, को हिरासत में लिया गया। तलाशी में उसके पास से सफेद प्लास्टिक थैले में 20 पाव 'जम्मू स्पेशल व्हिस्की' (प्रत्येक में 180 एमएल) और 10 पाव 'देशी प्लेन शोले मदिरा' (प्रत्येक में 180 एमएल) कुल 5 लीटर 400 एमएल शराब, जिसकी कीमत लगभग 3,400 रुपये है, बरामद की गई। उसके खिलाफ भी आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के तहत अपराध दर्ज किया गया।

इन दोनों मामलों में जूटमिल पुलिस की टीम – सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र पटेल, महिला प्रधान आरक्षक क्लोस्टिका खरे, आरक्षक सुशील यादव, नरेश रजक, लकेश्वर पुरसेठ, शशि भूषण साहू, बंशी रात्रे, जितेश चौहान, परमानंद पटेल एवं महिला आरक्षक आशा सिदार – की सक्रिय भूमिका रही। अवैध शराब कारोबार पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी।

नाबालिक लड़की से छेड़छाड़ करने वाला हिमालय नायक गिरफ्तार

रायपुर | आरएनएस

31 मई को पीड़ित नाबालिक बालिका को आरोपी द्वारा उसके घर के नीचे से पीछा करते हुए डीकेएस अस्पताल पार्किंग तक गया और अश्लील इशारे करते हुए यह जानते हुए कि पीड़ित नाबालिक है को छेड़छाड़ किया कि रिपोर्ट पर थाना गोलबाजार में अप. क्र. 82/2025 धारा 75(1)(4), 77, 78 बीएनएस एवं 8 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी हिमालय नायक पिता देवेंद्र नायक उम्र 30 साल पता म. नं. 19, ब्लॉक आई, राजीव आवास, थाना गोलबाजार रायपुर (छ.ग.) को गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया। उल्लेखनीय है कि आरोपी हिमालय नायक जो थाना गोलबाजार का आदतन अपराधी है जिसके विरुद्ध थाना गोलबाजार में बलवा, मारपीट, आम्र्स एक्ट के तहत कुल 5 पूर्व अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। नाम गिरफ्तार आरोपी :- हिमालय नायक पिता देवेंद्र नायक उम्र 30 साल पता म. नं. 19, ब्लॉक आई, राजीव आवास, थाना गोलबाजार रायपुर (छ.ग.) संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक अर्चना धुरंधर, आरक्षक 1545 संदीप सिंह, आरक्षक 327 अभिलाष नायर की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

जनदर्शन में आये दिव्यांग शंभू को मिला बैटरी चलित ट्राइसाइकिल

❒ समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदायित ट्राइसाइकिल से अब आजीविका की राह हुई आसान

सारंगढ़ बिलाईगढ़

सारंगढ़ जनपद के ग्राम परसदा बड़े पंचायत निवासी अस्थिबाधित दिव्यांग शंभूलाल यादव द्वारा मंगलवार को कलेक्टर जनदर्शन में मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल की मांग का आवेदन दिया गया। दिव्यांग शंभू ने बताया कि वह राइस मिल में मजदूरी करता था, जहां एक दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल होने पर उसके दाएं पैर को काटना पड़ा। एक पैर नहीं होने की स्थिति में वह अब न तो कोई मजदूरी कर पा रहा हूं और ना ही कही आ जा पा रहा हूं। परिवार वालों की सहायता से जीवन यापन के लिए घर पर ही एक छोटी सी किराना दुकान का संचालन कर रहा हूं किंतु कोई साधन नहीं होने से किराना दुकान का सामान आदि लेने बाजार आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। अपनी इसी परेशानी को कलेक्टर महोदय की बताया तो उन्होंने मदद का भरोसा दिलाया, किंतु आज ही आवेदन देने और आज ही मदद मिल जाएगी ऐसा मुझे विश्वास नहीं था।

कलेक्टर के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग के माध्यम से अपर कलेक्टर श्रवण कुमार टंडन और डिप्टी कलेक्टर अशोक कुमार मारबल द्वारा दिव्यांग को बैटरी चलित ट्राइसाइकिल की चाभी वितरित की गई। ट्राइसाइकिल मिलने से दिव्यांग शंभू को आने जाने में होने वाला शारीरिक कष्ट कम हो जाएगा और उसकी छोटी किराना दुकान का विस्तार करने के साथ वह अपनी आजीविका को भी बढ़ा सकेगा। दिव्यांग शंभू ने इस मदद के लिए कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे के प्रति आभार प्रकट किया है।

छाल पुलिस की शराब रेड कार्यवाई: कुड़ेकेला में अवैध शराब बेचते एक आरोपी गिरफ्तार, 8 लीटर महुआ शराब जब्त

रायगढ़

ज़िले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत छाल थाना पुलिस ने 2 जून 2025 को ग्राम कुड़ेकेला में दबिश देकर एक आरोपी को अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई, जिसमें आरोपी के पास से लगभग 8 लीटर हाथ भट्ठी की बनी महुआ शराब बरामद की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, छाल थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि ग्राम कुड़ेकेला में एक व्यक्ति अपने घर के सामने अवैध रूप से शराब बेच रहा है। सूचना पर सहायक उप निरीक्षक शिव कुमार खरे अपने हमराह स्टाफ आरक्षक गोविन्द बनर्जी और प्रबंध राठिया के साथ मौके पर पहुंचे और मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी। मौके से एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर पकड़ा गया, जिसने पूछताछ में अपना नाम बिन्दु कुमार राठिया (38 वर्ष), पिता स्व. शिवसागर राठिया, निवासी कुड़ेकेला, थाना छाल बताया।

तलाशी के दौरान उसके पास से 10 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक जरिकेन में लगभग 8 लीटर तीखी गंधयुक्त हाथ भट्ठी की बनी महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 800 रुपये बताई गई है। आरोपी का यह कृत्य छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने पर उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई है।

नाबालिक बच्चों का न्यूड वीडियो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार

बलौदाबाजार | आरएनएस

जिले की थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने नाबालिक बच्चों का न्यूड वीडियो वायरल करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पेशे से ट्रक ड्राइवर है।

मिली जानकारी के अनुसार थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त शिकायत जांच पर पाया गया कि दिनांक 12.01.2022 को आरोपी द्वारा नाबालिक बच्चों का न्यूड वीडियो वायरल किया गया था, जिस पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्र. 55/2025 धारा 67(र),67(क्च) आईटी एक्ट का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा जांच एवं विवेचना कार्यवाही करते हुए आरोपी मोहम्मद दानिश उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम दुबाही पोस्ट मऊआईमा थाना मऊआईमा जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश वर्तमान निवासी ग्राम रवान थाना सिटी कोतवाली को हिरासत में लिया गया।

आरोपी से विस्तृत पूछताछ किया गया, जिसमें आरोपी द्वारा बताया गया- कि वह 2016 से ग्राम रावन में किराए के मकान में रहकर पाल ट्रांसपोर्ट कंपनी अंबुजा सीमेंट प्लांट रावन में ट्रक चलाने का काम कर रहा है। कोरोना काल के बाद उसने एयरटेल कंपनी का नया सिम खरीदा, जिससे उसके द्वारा मोबाइल में लगाकर उपयोग किया जा रहा है, जिसके माध्यम से व्हाट्सएप एवं दूसरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी चलाता है। मोबाइल चलाने के दौरान आरोपी द्वारा अपने आईडी से सोशल मीडिया में नाबालिक बच्चों का न्यूड वीडियो अपलोड कर दिया गया। आरोपी से एक वीवो कंपनी का मोबाइल जिसमें दो सिम लगा है, जप्त किया गया है। कि प्रकरण में आरोपी को आज दिनांक 03.06.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम : सारंगढ़ के जिला चिकित्सालय में निःशुल्क डायलिसिस सेवा

❒ अधिक जानकारी के लिए संपर्क नंबर 6267317316, 9329205242

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एफ. आर. निराला एवं सिविल सर्जन सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. दीपक कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में जिला चिकित्सालय सारंगढ़ में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत् जीवनधारा निःशुल्क डायलिसिस सेवा का सफल संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत् प्रारंभ से अब तक चिन्हित मरीजों का 96 सेशन पूर्ण कर लिये गये है।

सिविल सर्जन डॉ. दीपक जायसवाल ने जानकारी दी है कि क्रोनिक किडनी के मरीजों में खून की कमी, मूत्र में रक्त आना, पैरो में सूजन आना, चेहरों में सूजन आना, थकान, उक्त रक्तचाप, अनिद्रा, भूख में कमी, त्वचा में खुजली, रात्रि में जल्दी जल्दी पेशाब आना, मासपेशियों में झनझनाहट होना, सांस लेने में तकलीफ होना, मूत्र में प्रोटिन आना, शरीर के वजन में अचानक बदलाव आना, सिर दर्द होना आदि प्रकार के लक्षण होते है। इस प्रकार के लक्षण होने पर प्रतिदिवस जिला चिकित्सालय सारंगढ़ में आकर जांच एवं उपचार हेतु चिकित्सकीय सलाह ले सकते है। मरीजों द्वारा ऐसे लक्षण होने पर नजर अंदाज करने पर विभिन्न प्रकार के जटिलताएँ हो सकती है एवं गुर्दे की विफलता की संभावना बढ़ जाती है जिसकी वजह से बहुत प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसमें खून की कमी, केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र का नष्ट होना, त्वचा का रंग परिवर्तित होना, रक्त में पोटेशियम का स्तर बढ़ जाना जिससे हृदय को नुकसान होता है। अनिद्रा, पेरीकार्डिटिस, पेट में अलसर होना, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना इस प्रकार की जटिलताएँ होती है। इसी प्रकार के मरीजों को हिमो डायलिसिस कराने की संभावना बढ़ जाती है।

सिविल सर्जन डॉ. दीपक जायसवाल ने जिले के समस्त नागरिकों से अपील किया है कि कोई भी मरीज जिनका डायलिसिस उच्च संस्था या किसी भी निजी संस्था में हो रही है, ऐसे मरीज जिला चिकित्सालय सारंगढ़ के डायलिसिस कक्ष में अपना आधार कार्ड लेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) के तहत् जीवनधारा निःशुल्क डायलिसिस सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते है। अधिक जानकारी हेतु मोबाईल नम्बर 6267317316, 9329205242 पर संपर्क कर सकते है।